



Neutral Citation No.-2026:AHC:8704

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-14826 वर्ष 2025

उमेश साहनी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आलोक कुमार राय, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री आलोक कुमार राय, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार, को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-666 वर्ष 2023, धारा 323, 307, 201, 302, 504, 34 भ०द०वि०, थाना-रामगढ़ताल, जिला: गोरखपुर के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। अ०सा०-1, अ०सा०-2 और अ०सा०-3 मुख्य गवाह हैं जिनमें से दो घायल व्यक्ति हैं और उन्होंने मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है और जिरह के दौरान अपने पहले के बयानों से पीछे हट गए हैं और लोक अभियोजक द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित करने के बाद जिरह की गई है। प्रस्तुत मामले में आवेदक को दोषी ठहराए जाने की कोई संभावना नहीं है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 7.11.2023 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं कर सका।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गवाह पक्षद्रोही गए हैं, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

8. आवेदक- उमेश साहनी, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 13, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)